भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1228

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्त पद**

**1228. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी :**

**श्री हरिवंश :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की निचली अदालतों में अधीनस्थ न्यायपालिका में 6000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इतने लम्बे समय तक इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने देश के सभी न्यायालयों में रिक्त पदों को लाने के लिए ठोस निर्णय किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, तारीख 31-03-2018 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर उपाबद्ध है।

संवैधानिक ढ़ांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना उच्च न्यायालयों और सम्बद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का सरोकार है, कतिपय राज्यों में इसे सम्बद्ध उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसा करते हैं ।

न्याय विभाग ने उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रारों के साथ-साथ राज्य सरकारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2018-19 के लिए कार्य योजना साझा करने के लिए एक पत्र लिखा था। सभी उच्च न्यायालयों ने उस कार्य योजना साझा किया है, जिसे वे वर्ष 2018-19 में अधीनस्थ न्यायापालिका में रिक्तियों को भरने के लिए, अनुसरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या 31-12-2013 को 19,518 से बढ़कर 31-03-2018 को 22,545 तक हो गई है तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या 31-12-2013 को 15,115 से बढ़कर 31-03-2018 को 17,109 तक हो गई है ।

**(ग) से (घ) :** तारीख 23-07-2018 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में स्वीकृत और कार्यरत पदों का ब्यौरा उपाबंध-2 पर उपाबद्ध हैः-

**(ड़.) से (च) :** उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत् और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को आरंभ करना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को आरंभ करना सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । जबकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया है, उच्च न्यायालयों के रिक्तियां न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन (उच्चतम न्यायालय में) और न्यायाधीशों के पदों की संख्या के बढ़ने के कारण भी के कारण बढ़ रही हैं विगत तीन वर्षो के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वर्ष-वार और न्यायालय-वार नियुक्त न्यायाधीशों की कुल संख्या **उपाबंध-3** पर विवरण मे दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-1**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1228 जिसका उत्तर तारीख 27.07.2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**31.03.2018 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत / कार्यरत पद संख्या और रिक्तियां ।**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्य का नाम / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत पद संख्या | रिक्तियां |
| 1 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | 987 | 912 | 75 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 28 | 17 | 1 1 |
| 3 | असम | 430 | 350 | 80 |
| 4 | बिहार | 1837 | 1153 | 684 |
| 5 | चंडीगढ़ | 30 | 30 | 0 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 399 | 376 | 23 |
| 7 | दादर और नागर हवेली तथा दमण और दीव | 7 | 6 | 1 |
| 8 | दिल्ली | 799 | 518 | 281 |
| 9 | गोवा | 55 | 44 | 1 1 |
| 10 | गुजरात | 1496 | 1116 | 380 |
| 1 1 | हरियाणा | 645 | 496 | 149 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 159 | 148 | 1 1 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 261 | 224 | 37 |
| 14 | झारखंड | 672 | 462 | 210 |
| 15 | कर्नाटक | 1303 | 1061 | 242 |
| 16 | केरल | 536 | 479 | 57 |
| 17 | लक्षद्वीप | 3 | 2 | 1 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 2021 | 1315 | 706 |
| 19 | महाराष्ट्र | 2097 | 1914 | 183 |
| 20 | मणिपुर | 50 | 39 | 1 1 |
| 21 | मेघालय | 97 | 39 | 58 |
| 22 | मिजोरम | 67 | 46 | 21 |
| 23 | नागालैंड | 33 | 21 | 12 |
| 24 | ओडिशा | 862 | 649 | 213 |
| 25 | पुडूचेरी | 26 | 12 | 14 |
| 26 | पंजाब | 674 | 538 | 136 |
| 27 | राजस्थान | 1237 | 1121 | 116 |
| 28 | सिक्किम | 23 | 19 | 4 |
| 29 | तमिलनाडु | 1121 | 913 | 208 |
| 30 | त्रिपुरा | 107 | 75 | 32 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 3224 | 1864 | 1360 |
| 32 | उत्तराखंड | 292 | 231 | 61 |
| 33 | पश्चिमी बंगाल तथा अंदमान और निकोबार | 967 | 919 | 48 |
|  | **कुल** | **22,545** | **17109** | **5436** |

**उपाबंध-2**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1228 जिसका उत्तर तारीख 27.07.2018 को दिया जाना है का निर्दिष्ट विवरण**

**23.07.2018 को उच्चतम न्य़ायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत / कार्यरत पद संख्या और रिक्तियां ।**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **न्यायालय का नाम** | **स्वीकृत पद संख्या** | | | **कार्यरत पद संख्या** | | | **स्वीकृत पद संख्या के अनुसार रिक्तियां** | | |
| **क** | **भारत का उच्चतम न्यायालय** | 31 | | | 22 | | | 9 | | |
| **ख** | **उच्च न्यायालय** | **स्थायी** | **अतिरिक्त** | **कुल** | **स्थायी** | **अतिरिक्त** | **कुल** | **स्थायी** | **अतिरिक्त** | **कुल** |
|  | इलाहाबाद | 76 | 84 | 160 | 65 | 26 | 91 | 1 1 | 58 | 69 |
|  | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश | 46 | 15 | 61 | 29 | 0 | 29 | 17 | 15 | 32 |
|  | बंबई | 71 | 23 | 94 | 55 | 14 | 69 | 16 | 0 9 | 25 |
|  | कलकत्ता | 54 | 18 | 72 | 23 | 14 | 37 | 31 | 0 4 | 35 |
|  | छत्तीसगढ़ | 17 | 05 | 22 | 9 | 0 7 | 16 | 0 8 | - 0 2 | 6 |
|  | दिल्ली | 45 | 15 | 60 | 35 | 0 | 35 | 10 | 15 | 25 |
|  | गुवाहाटी | 18 | 06 | 24 | 07 | 10 | 17 | 1 1 | - 0 4 | 0 7 |
|  | गुजरात | 39 | 13 | 52 | 29 | 0 | 29 | 10 | 13 | 23 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 10 | 03 | 13 | 8 | 0 | 08 | 0 2 | 0 3 | 05 |
|  | जम्मू-कश्मीर | 13 | 04 | 17 | 8 | 0 | 0 8 | 0 5 | 04 | 0 9 |
|  | झारखंड | 19 | 06 | 25 | 10 | 0 7 | 17 | 0 9 | - 0 1 | 0 8 |
|  | कर्नाटक | 47 | 15 | 62 | 16 | 14 | 30 | 31 | 0 1 | 32 |
|  | केरल | 35 | 12 | 47 | 32 | 0 3 | 35 | 0 3 | 0 9 | 12 |
|  | मध्य प्रदेश | 40 | 13 | 53 | 35 | 0 | 35 | 0 5 | 13 | 18 |
|  | मद्रास | 56 | 19 | 75 | 41 | 22 | 63 | 15 | - 0 3 | 12 |
|  | मणिपुर | 04 | 01 | 05 | 3 | 0 | 0 3 | 0 1 | 01 | 0 2 |
|  | मेघालय | 03 | 01 | 04 | 02 | 0 | 02 | 01 | 01 | 0 2 |
|  | ओडिशा | 20 | 07 | 27 | 14 | 0 | 14 | 0 6 | 07 | 13 |
|  | पटना | 40 | 13 | 53 | 18 | 12 | 30 | 22 | 01 | 23 |
|  | पंजाब और हरियाणा | 64 | 21 | 85 | 40 | 10 | 50 | 24 | 1 1 | 35 |
|  | राजस्थान | 38 | 12 | 50 | 27 | 4 | 31 | 1 1 | 0 8 | 19 |
|  | सिक्किम | 03 | 0 | 03 | 2 | 0 | 0 2 | 0 1 | 0 | 0 1 |
|  | त्रिपुरा | 04 | 0 | 04 | 3 | 0 | 0 3 | 0 1 | 0 | 0 1 |
|  | उत्तराखंड | 09 | 02 | 1 1 | 7 | 01 | 0 8 | 0 2 | 01 | 0 3 |
| **कुल** | | **771** | **308** | **1079** | **518** | **144** | **662** | **253** | **164** | **417** |

**उपाबंध-3**

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1228 जिसका उत्तर तारीख 27.07.2018 को दिया जाना है, के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वर्ष-वार और न्यायालय-वार, विगत तीन वर्ष के दौरान नियुक्ति किए गए न्यायाधीशों की संख्या का ब्यौरा ।**

**क उच्चतम न्यायालय :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान की गई नई नियुक्ति** | **01.01.2017 से 31.12.2017 के दौरान की गई नई नियुक्ति** | **01.01.2018 से 2** **3** **.07.2018 के दौरान की गई नई नियुक्ति** |
| 04 | 05 | 01 |

**ख उच्च न्यायालय:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय का नाम** | **1.1.2016 से 31.12.2016 के दौरान की गई नई नियुक्ति** | **1.1.2017 से 31.12.2017 के दौरान की गई नई नियुक्ति** | **1.1.2018 से 2** **3** **.07.2018 के** **दौरान की गई नई नियुक्ति** |
| 1 | इलाहाबाद | 20 | 31 | - |
| 2 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश | 01 | 10 | - |
| 3 | बंबई | 06 | 14 | - |
| 4 | कलकत्ता | 01 | 06 | 07 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 03 | 03 | 04 |
| 6 | दिल्ली | 05 | 04 | - |
| 7 | गुवाहाटी | 05 | 02 | - |
| 8 | गुजरात | 05 | - | - |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 04 | - | - |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | - | 03 | - |
| 1 1 | झारखंड | 04 | 02 | 03 |
| 12 | कर्नाटक | 05 | 02 | 07 |
| 13 | केरल | 05 | 03 | - |
| 14 | मध्य प्रदेश | 18 | - | 05 |
| 15 | मद्रास | 25 | 12 | 07 |
| 16 | मणिपुर | 01 | - | - |
| 17 | मेघालय | - | - | - |
| 18 | ओडिशा | - | - | - |
| 19 | पटना | 06 | 06 | - |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | 01 | 08 | - |
| 21 | राजस्थान | 1 1 | 05 | - |
| 22 | सिक्किम | - | 01 | - |
| 23 | त्रिपुरा | - | - | 01 |
| 24 | उत्तराखंड | - | 03 | - |
|  | **कुल** | **126** | **115** | **34** |